



कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001
ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-252240



क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2021/

2735

दिनांक:- 08-09-21

प्रेषिती:-

श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी बृजमोहन सुण्डा एवं विवेक कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जरिये मुख्त्यारआम एवं स्वयं खातेदार श्री बृजमोहन सुण्डा पुत्र श्री चुन्नी लाल, नि. कूदन तह. धोद, सीकर हाल आबाद वार्ड नं. 41, समाज कल्याण विभाग के पिछे, नवलगढ़ रोड़, सीकर।



विषय:- राजस्व ग्राम जगमालपुरा के खसरा नम्बर 1132/1125 रकबा 0.8026 है., खसरा नम्बर 1136/758 रकबा 0.2819 एवं खसरा नम्बर 1135/757 रकबा 0.8306 अर्थात कुल रकबा 19151.00 वर्गमीटर भूमि में बृज विहार आवासीय योजना फ़ैज-2 अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम जगमालपुरा के खसरा नम्बर 1132/1125 रकबा 0.8026 है., खसरा नम्बर 1136/758 रकबा 0.2819 एवं खसरा नम्बर 1135/757 रकबा 0.8306 अर्थात कुल रकबा 19151.00 वर्गमीटर भूमि में बृज विहार आवासीय योजना फ़ैज-2 को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना में पार्क को भवन विनियम 2020 के अनुसार ही विकसित करना होगा।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या A-1, A-23, A-44, A-45, A-55, A-56, A-67, A-68, A-79 & A-80) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- योजना मानचित्र।

(इन्द्रजीत सिंह RAS)
सचिव, नगर विकास न्यास
सीकर

